न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 62/2026(GCMS : 2026/81)

ए यू स्माल फाईनेंस बैंक लि., जिसका पंजीकृत कार्यालय 19–ए धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर **शाखा कार्यालय** नियर गौड़ हॉस्पीटल, मीरा चौक, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर जरिये **प्राधिकृत अधिकारी** प्रकाश चन्द

<u>**बनाम**</u>

1. **जसवन्त सिंह** पुत्र मीत सिंह निवासी वार्ड नम्बर–2, 59 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान– 335703
2. **सुखवन्त सिंह** पुत्र मीत सिंह निवासी वार्ड नम्बर–2, 59 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान– 335703
3. **सुखदेव कौर** पत्नी मीत सिंह वार्ड नम्बर–2, 59 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान– 335703

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>**06.05.2026**</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री सूरज प्रकाश भादू एवं जितेन्द्र पराशर ने संयुक्त रूप से एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण जसवन्त सिंह, सुखवन्त सिंह एवं सुखदेव कौर को ऋण सुविधा के रूप में 7.05/– लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 24.09.2019 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 07.10.2025 को 8,52,024/– रूपये की ऋण राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी सुखवन्त सिंह एवं सुखदेव कौर द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति क्रमशः पट्टा नम्बर 004, बुक नम्बर 73, मिसल नम्बर 293, गांव लालगढ़ (59 जीबी), तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर में साईज 1980 वर्गफुट का है एवं पट्टा नम्बर 005, बुक नम्बर 73 मिसल नम्बर 293, गांव लालगढ़ (59 जीबी), तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर में साईज 1980 वर्गफुट का है**, का भौतिक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण जसवन्त सिंह, सुखवन्त सिंह एवं**

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:46:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

सुखदेव कौर को ऋण सुविधा के रूप में 7.05/– लाख रूपये (अखरे रूपये सात लाख पांच हजार मात्र) **की स्वीकृति दिनांक 24.09.2019 को प्रदान की गई थी और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुखवन्त सिंह एवं सुखदेव कौर ने अपनी अचल **सम्पत्ति क्रमशः पट्टा नम्बर 004, बुक नम्बर 73, मिसल नम्बर 293, गांव लालगढ़ (59 जीबी), तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर में साईज 1980 वर्गफुट का है एवं पट्टा नम्बर 005, बुक नम्बर 73 मिसल नम्बर 293, गांव लालगढ़ (59 जीबी), तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर में साईज 1980 वर्गफुट का है,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 08.10.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) की विधिक तामील हुई है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी सुखवन्त सिंह एवं सुखदेव कौर की अचल सम्पत्ति क्रमशः पट्टा नम्बर 004, बुक नम्बर 73, मिसल नम्बर 293, गांव लालगढ़ (59 जीबी), तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर में साईज 1980 वर्गफुट का है एवं पट्टा नम्बर 005, बुक नम्बर 73 मिसल नम्बर 293, गांव लालगढ़ (59 जीबी), तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर में साईज 1980 वर्गफुट का है, जो प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक की गई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:46:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 62/2026
(GCMS No. 2026/81)
ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक बनाम जसवन्त सिंह वगै.(2)

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 08.10.2025 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 08.10.2025 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, **अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 10.10.2025 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस की तामील हो गई है,** जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी सुखवन्त सिंह एवं सुखदेव कौर द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ए यू स्माल फाईनेंस बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी **ऋणी सुखवन्त सिंह एवं सुखदेव कौर द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल क्रमशः पट्टा नम्बर 004, बुक नम्बर 73, मिसल नम्बर 293, गांव लालगढ़ (59 जीबी), तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर में साईज 1980 वर्गफुट का है एवं पट्टा नम्बर 005, बुक नम्बर 73 मिसल नम्बर 293, गांव लालगढ़ (59 जीबी), तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर में साईज 1980 वर्गफुट का है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सु[illegible] बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित [illegible] स्थ[illegible] से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी [illegible] श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.05.2026 को [illegible] द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:46:51 IST
Reason: SelfAttested